

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/36/2020	2020/00051	17-09-2020	24-03-2021
01- लालाराम उर्फ हरिकिशन पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुशालगढ़ तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।			-अपीलान्ट

बनाम

01- सहायक वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का तहसील थानागाजी जिला अलवर।
-रैस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय सहायक वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का दिनांक 03.09.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 04/2018

उपस्थित:-

01-श्री राधेलाल गुर्जर

-वकील अपीलान्ट

-:निर्णय:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नप्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का के आदेश दिनांक 03.09.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम कुशालगढ़ तिराहा की आराजी खसरा नम्बर 571 में अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कुशालगढ़ तिराहा की आराजी खसरा नम्बर 571 में अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 09.05.2018 को क्षेत्रीय वन अधिकारी सरिस्का जिला अलवर द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली दण्डित किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सरिस्का द्वारा वन अपराध प्रकरण दर्ज कर वनखण्ड कुशालगढ़ में कुशालगढ़ तिराहा खसरा नम्बर 571 में निर्माण कर अतिक्रमण का प्रकरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। जिसके अन्तर्गत दिनांक 03.09.2020 को आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा वनविभाग की भूमि खसरा नम्बर 571 पर कोई अतिक्रमण या निर्माण नहीं किया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 571 का रकबा काफी बड़ा है। जिसके कुछ हिस्से पर अपीलांट को अतिक्रमी माना है। अपीलांट का अतिक्रमण किस तरफ का है, यह भी वन अधिकारी की रिपोर्ट में नहीं खोला गया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की नजिर अनुसार बड़े रकबे में से कुछ रकबे पर अतिक्रमण किया है तो स्पष्ट रूप से चिन्हित करना पड़ेगा कि आराजी के किस तरफ के हिस्से पर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो मौका देखा गया -

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P. T. O.

(2)

ना ही मौके की रिपोर्ट तलब की गई। खसरा नम्बर 571 राजस्व रिकॉर्ड गै0मु0 पहाड़ दर्ज है। गै0मु0 पहाड़ पर दुकान आदि का निर्माण करना संभव नहीं है। खसरा नम्बर 571 पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। खसरा नम्बर 310 गै0मु0आबादी का है जिसमें से ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा दिया हुआ है। अपीलांट अपनी पट्टाशुदा भूमि पर काबिज है। अपीलांट अपने बुजुर्गों के समय 50-60 साल से काबिज है। अपीलांट को पट्टा सं0 23 रकबा 675 वर्गफुट जारी किया गया है। पट्टे को न मानकर अपीलांट का खसरा नम्बर 571 पर अतिक्रमण मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की गई है। अपीलांट अपनी छोटी सी दुकान पर अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहा है। यदि आलोच्य निर्णय की पालना कर दी गई तो अपीलांट बेरोजगार हो जायेगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.09.2020 निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्याया0 हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पत्रावली में उपलब्ध विज्ञप्ति दिनांक 04.07.1968 की छायाप्रति से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 305 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा को रक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टे देने का कोई अधिकार नहीं है। जिसमें जमाबंदी में भी गै0मु0पहाड़ महकमा जंगलात दर्ज है। हाल जमाबंदी में खसरा नम्बर 571 रकबा 3.09 है0 में गै0मु0पहाड़ दर्ज है। राजस्थान राज-पत्र दिनांक 28.12.2007 द्वारा कुशालगढ़ क्षेत्र को टाईगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरी नक्शे से अपीलांट द्वारा किया गया अतिक्रमित रकबा प्रदर्शित किया गया है जो खसरा नम्बर 571 दर्शाया गया है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में खसरा नम्बर 310 गै0मु0आबादी में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिया जाना जाहिर किया गया है जबकि उक्त पट्टे की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त पट्टा किस खसरा नम्बर में से जारी हुआ है। रक्षित वन क्षेत्र में ग्राम पंचायत को पट्टे देने का कोई अधिकार नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बगैर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजनार्थ प्रत्यावर्तन नहीं कर सकते। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.09.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)

अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)

अलवर (राज०)